

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 02/2020

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगणगण-

1. भरत कुमार पुत्र धनराज जाति
प्रजापत निवासी वार्ड नं. 35
बालोतरा (मैसर्स मनपसंद स्वीट होम
द्वितीय रेल्वे फाटक के पास बालोतरा
जिला बाड़मेर का मैनेजर)
2. धनराज पुत्र मोहनलाल जाति
प्रजापत निवासी वार्ड नं. 35
बालोतरा (मैसर्स मनपसंद स्वीट होम
द्वितीय रेल्वे फाटक के पास बालोतरा
जिला बाड़मेर का मालिक एवं खाद्य
अनुज्ञा पत्र धारक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री राजूराम कुमावत, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की
उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि
अप्रार्थीगणगण की फर्म मैसर्स मनपसंद स्वीट होम द्वितीय रेल्वे फाटक के पास
बालोतरा जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 02.09.2019 को विक्रय हेतु रखा
गया खाद्य पदार्थ मोदक के लड्डू जो कि एक थाल में करीब 10 कि0ग्रा0 रखे
हुए थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 02 कि0ग्रा0 मोदक के
लड्डू वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-1077 अंकित की गयी।
जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु
प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये।



उक्त खाद्य पदार्थ मोदक के लड्डू का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16.09.2019 में उक्त खाद्य पदार्थ मोदक के लड्डू का नमूना को अवमानक (Sub-standard) बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगणगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को परिवाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 16.09.2019 में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of Extracted Fat at 40 degree C जिसका मानक स्तर 40-44 के मुकाबले 50.05 एवं Reichert Value of Extracted Fat जिसका मानक स्तर न्यूनतम 26 के मुकाबले 13.37 पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिनको परिवाद का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद भी जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया है क्योंकि जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई टोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा




खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 02/2020/खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम भरत कुमार व अन्य

26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 02.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ओमप्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर